राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 387/2024

नवनीत कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त सचिव तृतीय, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजमहल, रेजीडेन्सी क्षेत्र, सिविल लाइंस फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 28.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र शाह, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर यूआईटी, कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से यूआईटी, बाड़मेर किया गया है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश में कनिष्ठ अभियंता का पद दर्शाते हुये नगर विकास न्यास, बाड़मेर स्थानान्तरित किया गया है, जबकि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत

है और स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर किया जाना चाहिए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नीति को ध्यान में न रखते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोटा जिले से बाड़मेर जिले में किया है, जो विधि एवं नीति के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अभियंता के पद पर यूआईटी, कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से यूआईटी, बाड़मेर किया गया है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश में कनिष्ठ अभियंता का पद दर्शाते हुये नगर विकास न्यास, बाड़मेर स्थानान्तरित किया गया है, जबकि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर दर्शाते हुये स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 08.04.2022 (अनुलग्नक–2) के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आज्ञा दिनांक 28.02.1997 के नियमों के अंतर्गत 6 माह अथवा आगामी डीपीसी की बैठक होने तक जो भी पहले हो, तक सहायक अभियंता के पद पर आवश्यक/अस्थायी (तद्र्थ) आधार पर पदोन्नत किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्थायी रूप से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी अपने मूल पद कनिष्ठ अभियंता के पद पर है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत होने उपरांत अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, हम इस बात से सहमत हैं कि स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति–पत्नी को जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर अथवा आस–पास पदस्थापित रखा जाना चाहिये, परन्तु इस तरह के प्रशासनिक दिशा–निर्देशों की पालना न होने के कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस आशय की अवधारणा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बैंक ऑफ इण्डिया बनाम जगजीत सिंह मेहता ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 519 एवं**

भारत संघ बनाम एस.एल.अब्बास ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2444 के निर्णयों में की है।

प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य